संख्या- 09/117/बयालिस-2018-02(बजट)/2016

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2018**

विषय :- **मद संख्या- 63-विभिन्न जनपदों के स्टेडियम में अवस्थापनाओं का विकास-26-मशीनेंऔर सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद के अन्तर्गत रू0 500.00 लाख की बजट व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 968/स्टो0पत्रा0/2017-18, दिनांक 15.09.2017, पत्र संख्या- जी0- 1604/2017-18, दिनांक 08.01.2018 एवं संख्या- जी0- 1923/स्टो0पत्रा0/2017-18, दिनांक 12.03.2018 के स्नदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि 1- जनपद लखनऊ में मिनी स्टेडियम विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ, 2- जनपद फैजाबाद, 3- जनपद गोरखपुर, 4- जनपद कानपुर एवं 5- जनपद वाराणसी में आधुनिक जिम उपकरण लगाये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा गठित आगणन धनराशिर रू0 403.32 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष- 2017-18 में पद संख्या- 63- विभिन्न जनपदों में अवस्थापनाओं का विकास- 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि रू0 500.00 लाख में से धनराशि रू0 403.32 लाख (रू0 चार करोड़ तीन लाख बत्तीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यमाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है :-

(1)- स्वीकृत धनराशि रू0 403.32 लाख (रू0 चार करोड़ तीन लाख बत्तीस हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2017-18 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- उक्त धनराशि की स्वीकृति आगणन में उल्लिखित उपकरणों को क्रय करने हेतु निर्गत की जा रही है।

(3)- कार्यदायी संस्था द्वारा उपकरण आपूर्तिकर्ता फर्म को धनराशि का भुगतान निदेशक खेल से खेल सामग्रियो/उपकरणों को सत्यापित कराने के उपरान्त किया जायेगा। खेल सामग्रियों/उपकरणों की आपूर्तिकर्ता फर्म से वारंटी हेतु स्फ्ट एग्रीमेन्ट कराया जायेगा, जिसमें विभागीय अधिकारी व निदेशक, खेल भी पार्टी होगें।

(4)- आगणन में उल्लिखित दरों को अनुमानित दरें मानते हुये स्वीकृति दी जा रही है तथा वांछित सामग्री क्रय करते समय प्रश्नगत सामग्री की जा दरें होंगी, उन्हीं दरों पर वांछित सामग्री क्रय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इसके अतिरिक्त सामग्री क्रय करते समय यदि सामग्री जेम पोर्टल पर अनुसूचित हो जाती है तो उक्त सामग्री का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा।

(5)- स्वीकृत धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी तथा कार्य वित्तीय वर्ष-2017-18 में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड- 5 के सुसंगत प्राविधानों एवं वित्तीय (लेखा) अनुभाग5 1 के शासनादेश दिनांक 23.09.2008 व क्रय सम्बन्धी अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- उपकरणों की विशिष्टियों/गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्थाकी होगी तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2017-18 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक '' 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-63-विभिन्न् जनपदों के स्टेडियम में अवस्थापनाओं का विकास-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र '' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 117(1)/बयालिस-2018-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4)- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी।
(5)- समबन्धित जनपदों के क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी।
(6)- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7)- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
(8)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 (तीन प्रतियों में)
(9)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(10)- नियोजन अनुभाग- 4
(11)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in